

प्रपत्र - 2.1

भाग - II

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या- FP/UK/Pipeline/148743/2021, dated 25/10/2021

7.	परियोजना/स्कीम का नाम	इंडियन ऑयल-अडानी गैस प्रा0 लि0 द्वारा जनपद ऊधमसिंह नगर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-74 (रुद्रपुर-किच्छा मार्ग की बायीं पटरी) के कि.मी. 221.150 (निकट महिंद्रा-महिंद्रा पलांट, लालपुर रुद्रपुर) से कि.मी. 227.200 (एच0पी0सी0एल पेट्रोल पम्प, होटल नीलकंठ के सामने, किच्छा बाईपास, किच्छा) कुल लम्बाई 6.05 कि.मी. एवं 0.3025 हे0 तक सड़क के किनारे पर ओपन ट्रेच/एच.डी.डी. तकनीक के माध्यम से बिना वृक्ष पातन के संरक्षित वन क्षेत्र में लम्बाई 5.480 कि.मी. एवं 0.2740 हे0 तथा आरक्षित वन क्षेत्र में लम्बाई 0.570 कि.मी. एवं 0.0285 हे0 में भूमिगत 8" व्यास की कार्बन स्टील गैस पाइपलाइन बिछाए जाने हेतु वन भूमि हस्तानांतरण प्रस्ताव।
(i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड।
(ii)	जिला	ऊधमसिंह नगर।
(iii)	वन प्रभाग	तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रुद्रपुर।
(iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हे0 में)	0.3025 हे0
(v)	वन की कानूनी स्थिति	संरक्षित वन क्षेत्र- 0.2740 हे0 तथा आरक्षित वन क्षेत्र- 0.0285 हे0
(vi)	हरियाली का घनत्व	
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जायें) सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ0आर0एल0-8 मी0 पर परिगणना भी संलग्न किये जाये।	लागू नहीं है।
(viii)	भूक्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदन शीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	संवेदनशील नहीं है।
(ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	वन सीमा के अन्तर्गत।
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भग है। (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियों अनुबंधित की जायें।)	नहीं
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणीजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है यदि हाँ/तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।	नहीं
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, दें।	नहीं
8.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम-2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जाँचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है जिससे आस-पास के लोगों को नैचुरल गैस की सुविधा मिलेगी। प्रस्तावित क्षेत्र के आस-पास वन भूमि ही है अन्य कोई विकल्प वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। इस हेतु भूमि की माँग न्यूनतम है अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
9.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	नहीं

10.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम वन चौरा।	
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।	लागू नहीं है।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	लागू नहीं है।
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेन्सी, समय अनुसूची लागत ढाचा आदि।	लागू नहीं है।
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिष्यय	लागू नहीं है।
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्ता के बारे में प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाये)।	लागू नहीं है।
11.	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुये संलग्न करें।	संलग्न है
12.	प्रभाग/जिला प्रोफाइल	तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रुद्रपुर, ऊधमसिंह नगर
i	जिला का भौगोलिक क्षेत्र	जनपद ऊधमसिंह नगर का क्षेत्र 254200 है०
ii	जिला का वन क्षेत्र	जनपद ऊधमसिंह नगर में 56400.00 है० वन भूमि
iii	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	48 मामलों में 340.85 है० वन भूमि
iv	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	जनपद ऊधमसिंह नगर में 297-95 है०
क	दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	रिक्त
ख	वनेत्तर भूमि	रिक्त
v	प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति	
क	वन भूमि पर	274.46 है०
ख	वनेत्तर भूमि पर	23.49 है०
13	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक विशेष सिफारिश।	इंडियन ऑयल-अडानी गैस प्रा0 लि0 द्वारा जनपद ऊधमसिंह नगर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-74 (रुद्रपुर-किच्छा मार्ग की बायीं पटरी) के कि.मी. 221.150 (निकट महिंद्रा-महिंद्रा पलांट, लालपुर रुद्रपुर) से कि.मी. 227.200 (एच0पी0सी0एल पेट्रोल पम्प, होटल नीलकंठ के सामने, किच्छा बाईपास, किच्छा) कुल लम्बाई 6.05 कि.मी. एवं 0.3025 हे0 तक सड़क के किनारे पर ओपन ट्रैंच/एच.डी.डी. तकनीक के माध्यम से बिना वृक्ष पातन के संरक्षित वन क्षेत्र में लम्बाई 5.480 कि.मी. एवं 0.2740 हे0 तथा आरक्षित वन क्षेत्र में लम्बाई 0.570 कि.मी. एवं 0.0285 हे0 में भूमिगत 8" व्यास की कार्बन स्टील गैस पाइपलाइन बिछाने की अनुमति के संबंध में संस्तुति की जाती है।

दिनांक:- 26/9/2022

प्रभाग वन अधिकारी  
हस्ताक्षर:  
नाम: तराई केन्द्रीय वन प्रभाग  
रुद्रपुर (ऊधमसिंह नगर)

10